327

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:–1 देहरादून दिनांक 22 दिसम्बर, 2014

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में सहकारी सहभागिता योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या:–5819/नियो0/सहभागिता/सामान्य/2014–15 दिनांक 01 नवम्बर, 2014 तथा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या:–318/XXVII (1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी सहभागिता योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत दिये जाने वाले कृषि/कृषयेत्तर ऋणों के अधीन लघु एवं सीमान्त कृषकों, बी0पी0एल0 परिवारों, सामान्य कृषकों को अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋण/आवास ऋणों तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कम्प्यूटर ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन किए जाने वाले ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से ₹1,19,00,000/–(रूपये एक करोड़ उन्नीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अंश हेतु सहकारी संस्थाओं से प्राप्त दावों का निबन्धक स्तर से सम्यक परीक्षण एवं त्रैमासिक प्रगति समीक्षा उपरान्त ही सहकारी संस्थाओं को वित्तीय स्वीकृति की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी एवं अग्रिम भुगतान अनुमन्य नही होगा। चालू वर्ष में स्वीकृत ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च, 2015 तक ही सस्ते ऋण के सापेक्ष वार्षिक देयता के अनुरूप ब्याज अनुदान अनुमन्य होगा।

(2) राज्य सरकार के स्तर से देय ब्याज अनुदान की गणना भारत सरकार तथा नाबार्ड के स्तर से सस्ते ऋणों के सापेक्ष प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का समायोजन करते हुए की जायेगी तथा उसी के अनुरूप सम्बन्धित बैंकों को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अतिरिक्त मांग प्रस्तुत करने तथा भुगतान किए जाने की स्थिति में बैंकों तथा विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(3) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:–318/XXVII (1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 का शब्दश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। योजना के नियोजन विभाग से कराये गए मूल्यांकन अध्ययन की संस्तुतियों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमश:

(4) धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(5) धनराशि का योजनावार व्यय विवरण निबन्धक प्रत्येक माह बी0एम0–13 प्रारूप पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2425–सहकारिता आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–03–सहकारी सहभागिता योजना–00–50–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या–318/XXVII-1/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 यथा।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

1410

संख्या– (1)/XIV–1/2014, तद्दिनांकित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त–4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
8. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, देहरादून।
10. सचिव/महाप्रबन्धक, समस्त जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
11. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
उप सचिव।